कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, राज्य बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

दूसरा अध्याय विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में चयनित अनुदानों की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

तीसरा अध्याय में विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1ः राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5,879 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,580 करोड़ की कमी आई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,882 करोड़) 13वें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 462 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे ने 2012-13 में 2.53 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.19 प्रतिशत का सुधार मुख्यतः 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में (19.41 प्रतिशत) उच्चतर संवृद्धि (21.15 प्रतिशत) के कारण हुआ।

(कंडिका 1.1.2 एवं राज्य की रुपरेखा)

- राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749 करोड़) में विगत वर्ष में 12.50 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस कमी का मुख्य कारण भारत सरकार से अनुदानों (2 प्रतिशत) में कमी एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2013-14 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायतानुदान से था।

(कंडिका 1.3)

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- 2013-14 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 46.88 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।

(कंडिका 1.6.3)

- 2013-14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी आई। कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के अंतर्गत थी जिसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

(कंडिका 1.6.2)

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 6,567 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 46 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

(कंडिका 1.6.4)

- 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

(कंडिका 1.7.1)

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर अंतरित की गई निधियां

- 2013-14 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 9,280.05 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं।

(कंडिका 1.2.2)

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा 2013-14 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 15,275.10 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 378.72 करोड़) केवल 2.48 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.84 प्रतिशत थी।

(कंडिका 1.8.1)

- बाईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2013-14 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 12,695.31 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 22,071.34 करोड़ तक हो गया था।

(कंडिका 1.8.1)

अपूर्ण परियोजनाएं

- ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों में 201 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2014 तक किया गया व्यय ₹ 34,465 करोड़ निष्फल रहा। इनमें से 50 परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत पुनरीक्षित की गई थी जिससे ₹ 12,701 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.8.2)

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2013-14 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 96,826 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं से अनुपात 21.47 प्रतिशत था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग (36 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा के भीतर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2012-13 में 0.53 से 2013-14 के दौरान 0.35 की कमी आई।

(कंडिका 1.9.2)

अध्याय-2: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- 2013-14 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,13,550 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 90,432 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरुप ₹ 23,118 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ₹ 11,088 करोड़ (मूल प्रावधान का 10.82 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 21 अनुदानों के अंतर्गत, 27 मदों में प्रत्येक में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 12,427 करोड़ की बचतें हुई थीं।

(कंडिकाएं 2.2 एवं 2.3.1)

देरी से/नहीं समर्पित की गईं बचतें

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 54.24 प्रतिशत (₹ 12,538.75 करोड़) समर्पित किया गया था। 59 प्रकरणों में ₹ 7,558 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थीं, जिससे इन निधियों के अन्य कार्यों में उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

(कंडिका 2.3.9)

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- 2013-14 के दौरान ₹ 34.32 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 740 करोड़ भी अनियमित रहे।

(कंडिकाएं 2.3.5 एवं 2.3.6)

केन्द्रीय निधियों को सिविल जमा में रखना

- 29 मार्च 2014 को आहरित ₹ 12.25 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

(कंडिका 2.3.11)

अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

➢ राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 27,372.73 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राही संस्थानों से बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (36,414) प्रतीक्षित थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(कंडिका 3.1)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

➢ छह स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (69 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

(कंडिका 3.2)

दुर्विनियोग एवं हानियों की सूचना

➢ ₹ 28.17 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के 2989 प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

(कंडिका 3.3)

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का प्रस्तुतीकरण

➢ मार्च 2014 तक संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 14.96 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक प्रतीक्षित थे।

(कंडिका 3.4.1)

विभागीय व्यय का मिलान

➢ 31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 50,546.04 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया।

(कंडिका 3.5)

व्यक्तिगत जमा खातों का रखरखाव

➢ मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2014 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खाते में कुल ₹ 1,784.77 करोड़ राशि का अत्यधिक अंतिम शेष था।

(कंडिका 3.9)